भर्ती एवं चयन समिति, जिला न्यायालय अंबिकापुर, छ0ग0

// सूचना //

दिनांक 29.11.2026 को आयोजित होने वाले भृत्य के लिखित परीक्षा हेतु पात्र घोषित किये गये अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों का निराकरण समिति के द्वारा निम्नानुसार किया गया है–

भृत्य के रिक्त पद हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण

क.	अभ्यर्थी का नाम	आवेदित पद का नाम	लिखित परीक्षा हेतु पात्र नहीं पाये जाने के पश्चात अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का कारण	प्राप्त आपत्ति का निराकरण	रिमार्क
1	महेन्द्र कुमार	भृत्य	अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से उसे अपात्र श्रेणी के स्थान पर पात्र श्रेणी में रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना दताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है । उक्त संबंध में अभ्यर्थी के द्वारा पूर्व में आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिसका निराकरण दिनांक 27.10.2026 को करते हुये अभ्यर्थी का आपत्ति निरस्त कर दिया	

25.11.2026

				गया है तथा उसकी सूचना कार्यालय के बेवसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है। अभ्यर्थी का पुनः प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार किया जाता है ।	
2	अमरदीप केरकेटटा	भृत्य	अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से उसे अपात्र श्रेणी के स्थान पर पात्र श्रेणी में रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है । उक्त संबंध में अभ्यर्थी के द्वारा पूर्व में आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिसका निराकरण दिनांक 27.10.2026 को करते हुये अभ्यर्थी का आपत्ति निरस्त कर दिया गया है तथा उसकी सूचना कार्यालय के बेवसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है। अभ्यर्थी का पुनः प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार किया जाता है ।	भृत्य
3	सत्येन्द्र प्रसाद	भृत्य	अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से उसे अपात्र श्रेणी के स्थान पर पात्र श्रेणी में रखे जाने	अभ्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र में यह निवेदन किया है कि उसे अपात्र घोषित किया	

25.11.2026

			हेतु प्रस्तुत किया गया है ।	गया है । अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया गया , अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिये विचार किये जाने योग्य पाया गया था तथा उक्त संबंध में जारी सूची क्रमांक–536 में अभ्यर्थी का नाम सत्येन्द्र प्रसाद पिता जगरोपन प्रसाद का उल्लेख किया जाना दर्शित है । अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में कक्षा आठवीं में 74.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, लिखित परीक्षा हेतु कक्षा आठवीं में प्राप्त किये गये मैरिट के आधार पर 25 गुणा व्यक्तियों को आहुत किया गया है, इस कारण अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु पात्र नहीं पाया गया है, तदानुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण किया गया ।	
4	चिराग नायक	भृत्य	अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से उसे अपात्र श्रेणी के स्थान पर पात्र श्रेणी में रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।	अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि पूर्व में पात्र अभ्यर्थियों की सूची में उसका प्राप्तांक 90 प्रतिशत था तथा वर्तमान में संशोधित सूची में उसका नाम पात्र सूची में नहीं है, जबकि पात्र सूची के क्रमांक–25 पर प्राप्तांक 87 प्रतिशत को पात्र होना पाया गया है । अभ्यर्थी के अभ्यावेदन एवं उसके आवेदन के साथ संलग्न कक्षा आठवीं का प्रमाण पत्र का अवलोकन कर विचार किया गया, पूर्व में अभ्यर्थी	

25.11.2026

				को लिपिकीय त्रुटिवश ग्रेड ए का होना पाते हुये, लिखित परीक्षा के लिये पात्र होना पाया गया था, किंतु उसके अंकसूची का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट रूप से दर्शित है कि अभ्यर्थी को कक्षा आठवी में 68.2 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है, जिसके कारण उसे लिखित परीक्षा के लिये मैरिट में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर पात्र होना नहीं पाया गया है । तदानुसार अभ्यर्थी का आवेदन निराकृत किया गया।	
5	वसुंधरा	भृत्य	अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से उसे अपात्र श्रेणी के स्थान पर पात्र श्रेणी में रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।	अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि पूर्व में पात्र अभ्यर्थियों की सूची में उसका नाम सरल कमांक–15 पर था किंतु दिनांक 14.11.2026 को निकाले गये सूची में उसका नाम अंकित नहीं है, उसे कक्षा कक्षा आठवीं में ''ए'' ग्रेड प्राप्त हुआ है, अभ्यर्थी के अभ्यावेदन एवं उसके आवेदन के साथ संलग्न कक्षा आठवीं का प्रमाण पत्र का अवलोकन कर विचार किया गया, पूर्व में अभ्यर्थी को लिपिकीय त्रुटिवश ग्रेड ए का होना पाते हुये, लिखित परीक्षा के लिये पात्र होना पाया गया था, किंतु उसके अंकसूची के साथ संलग्न प्रमाण पत्र के अवलोकन करने पर यह स्पष्ट रूप से दर्शित है कि	

25.11.2026

				अभ्यर्थी को कक्षा आठवी में 73.5 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है तथा अभ्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र में भी उसे उक्त प्रतिशत अंक प्राप्त होना उल्लेखित किया है, जिसके कारण उसे लिखित परीक्षा के लिये मैरिट में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर पात्र होना नहीं पाया गया है। तदानुसार अभ्यर्थी का आवेदन निराकृत किया गया।	
6	करमचंद	भृत्य	अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से दिनांक 29.11.2026 को निर्धारित भृत्य पद की परीक्षा के लिये जारी प्रवेश पत्र में त्रुटिवश दोपहर 1.00 बजे का समय उल्लेखित करते हुये अपना अभ्यावेदन ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत किया है ।	दिनांक 14.11.202को प्रकाशित की गयी सूचना में अभ्यर्थियों को अभ्यावेदन कार्यालय में उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था तथा ई–मेल/डाक/कोरियर या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है, चूकि अभ्यर्थी का आवेदन ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है , अतः उक्त संबंध में कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। उक्त संबंध में यह भी उल्लेख है कि अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन में उल्लेखित तथ्य निराधार एवं असत्य है। तदानुसार अभ्यर्थी का आवेदन निराकृत किया गया।	
7	विशाल यादव	भृत्य	अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से उसका नाम पात्र सूची में	अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया गया, अभ्यर्थी के कक्षा आठवीं के अंकसूची	

25.11.2026

			जारी हुआ था किंतु लिखित परीक्षा की सूची में उसका नाम नहीं आया है । अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा की सूची में अपना नाम दर्ज कराने का निवेदन किया है ।	में उसे 98.6 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है, किंतु कक्षा आठवीं के प्राप्तांक अंको के मैरिट के आधार पर 25 गुणा अभ्यर्थियों की सूची में उसका नाम उसके प्राप्तांकों के आधार पर नहीं आया है, इस कारण अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु पात्र नहीं पाया गया है । उक्त संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी का नाम पूर्व में लिखित परीक्षा हेतु विचार किये योग्य पाये गये अभ्यर्थियोंकीसूची में प्रकाशित हुआ था, न कि पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूची में । तदानुसार अभ्यर्थी के आवेदन का निराकरण किया गया ।	
8	मनीष गुप्ता	भृत्य	अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से उसका नाम पात्र सूची में जारी हुआ था किंतु लिखित परीक्षा की सूची में उसका नाम नहीं आया है। अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा की सूची में अपना नाम दर्ज कराने का निवेदन किया है ।	अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया गया, अभ्यर्थी के कक्षा आठवीं के अंकसूची में उसे 98.5 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है, किंतु कक्षा आठवीं के प्राप्तांक अंको के मैरिट के आधार पर 25 गुणा अभ्यर्थियों की सूची में उसका नाम उसके प्राप्तांकों के आधार पर नहीं आया है, इस कारण अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु पात्र नहीं पाया गया है । उक्त संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी का नाम पूर्व में लिखित परीक्षा हेतु विचार किये योग्य पाये गये अभ्यर्थियोंकीसूची में प्रकाशित हुआ था, न कि पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूची में ।	

25.11.2022

				तदानुसार अभ्यर्थी के आवेदन का निराकरण किया गया ।	
9	उमेश्वर यादव	भृत्य	अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से उसे कक्षा आठवीं में ''ए प्लस'' ग्रेड प्राप्त होने के कारण उसके आवेदन पर पुनर्विचार कर उसे लिखित परीक्षा हेतु पात्र घोषित किये जाने का निवेदन किया है ।	अभ्यर्थी के आवेदन पर समिति द्वारा विचार किया गया, अभ्यर्थी के कक्षा आठवीं के अंकसूची के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभ्यर्थी को संज्ञानात्मक श्रेणी में ''ए'' ग्रेड दिया गया है तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ग्रेड ''ए प्लस'' का उल्लेख किया गया है। कक्षा आठवीं के संबंध में छत्तीसगढ बोर्ड में जो ग्रेडिंग सिस्टम का उल्लेख करते हुये उसका निर्धारण संभावित प्रतिशत के रेंज के लिये दिया गया है, उसमें ''ए प्लस ग्रेड का उल्लेख नहीं है तथा उक्त ग्रेडिंग सिस्टम में अधिकतम ग्रेड ए दिया गया है, जिसका संभावित प्रतिशत रेंज 81 से 100 होना बताया गया है जिसका औसत पूर्व में 90 प्रतिशत निर्धारित किया जा चुका है तथा उक्त अभ्यर्थी के कक्षा आठवीं में प्राप्त किये गये गये मैरिट के अंकों के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु पात्र नहीं पाया गया है । तदानुसार आवेदक के अभ्यावेदन का निराकरण किया गया ।	

25.11.2022

अध्यक्ष, भर्ती एवं चयन समिति
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर
जिला–सरगुजा, छ0ग0